

प्रेषक,

राधा रतूडी,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
आई0सी0डी0एस0,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग,

देहरादून: दिनांक 19 जनवरी, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड हेतु विभिन्न योजनाओं में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 2162-63/अनुपूरक मांग बजट/4602/17-18, दिनांक 07.11.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड की विभिन्न योजनाओं हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान संख्या-15 में धनराशि ₹ 234490000/-, अनुदान संख्या-30 में धनराशि ₹ 2652000/- एवं अनुदान संख्या-31 में धनराशि ₹ 3000000/- अर्थात् कुल धनराशि ₹ 24,01,42,000/- (₹ चौबीस करोड़ एक लाख बयालीस हजार मात्र) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30.06.2017 एवं शासनादेश संख्या 1362/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 27.12.2017 में निहित निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त मद में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किशतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में प्रत्येक दशा में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तदनुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित की बचत सुनिश्चित की जायेगी।
3. भारत सरकार द्वारा आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर की व्यवस्था समाप्त कर राजस्व तथा पूंजी की व्यवस्था अपनायी गयी है। राज्य सरकार द्वारा भी लेखानुदान राजस्व तथा जीज के अन्तर्गत ही प्रस्तुत किया गया है।
4. कृपया यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आप अपने अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारी को भी साफ्टवेयर के माध्यम से ही बजट जारी करते हुए आवंटन किया जाय।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि आवंटित की गई हो। उक्त धनराशि का आहरण/व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्धारित समयान्तर्गत भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रेषित किया जायेगा।
6. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिये कदापि न छोड़ी जाय।



7. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत कार्यालयों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
8. मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. आवंटन के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जायें।
10. किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर शासन की सहमति के किसी भी प्रकार से पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।
11. उपरोक्त के अतिरिक्त वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 में उल्लिखित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
12. यह आदेश शासनादेश संख्या 183/xxvii-1/2012 दिनांक 28-3-2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में [www.cts.uk.gov.in](http://www.cts.uk.gov.in) से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई0डी0 क्रमशः S1801150282, S1801300283 एवं S1801310284 दिनांक 18.01.2018 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीया,

(राधा रतूडी)  
प्रमुख सचिव

संख्या- 105 (1)/XVII(4)/2018-2(10)/2017 तददिनांक  
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त-1/5/ नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. आईबर ट्रेरी लक्ष्मी रोड़, डालनवाला देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)

संयुक्त सचिव